

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उडसरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 121/2024

अनवान :

पवन कुमार पुत्र महावीर जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
2. सुमित्रादेवी पुत्री महावीर पत्नी सरजीत कुमार जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा हाल मकान संख्या 760 बाडोपट्टी हिसार।
3. रामरति पुत्री महावीर पत्नी चरणसिंह जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा हाल वार्ड संख्या 3 ढाणी खोखरान राजपुरा।
4. सन्तोष कुमारी पुत्री महावीर पत्नी नरसीराम जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा हाल इन्दाछोई फतेहाबाद।
5. मायादेवी पुत्री महावीर पत्नी उम्मेदसिंह जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा हालढाणा लाडनपुर भिवानी।
6. राजपति पुत्री महावीर पत्नी महावीरसिंह जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा वार्ड संख्या 6 शेरड़ा त0 भादरा।
7. सुमन पुत्री महावीर पत्नी सजन नोखवाल जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा हाल 813 शाहपुर हिसार।
8. सरबतीदेवी पत्नी महावीर जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबड़ी जरिए शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र पचार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं० 313/102 के ख०सं० 446/950 की 0.5820 है०, खसरा संख्या 450 की 5.2350 है०, खसरा संख्या 456 की 1.0120 है०, खसरा संख्या 458 की 1.0750 है०, खसरा संख्या 642 की 2.7760 है० कुल खसरा 5 की कुल 10.6800 है० वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 महावीर के नाम दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 महावीर अकेले की बजाय वादी पवन कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 महावीर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की जारी की गई।



(Signature)

(निधि उडसरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़